90

प्र/निग0/सतना/भू-रा0/2017/3858

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

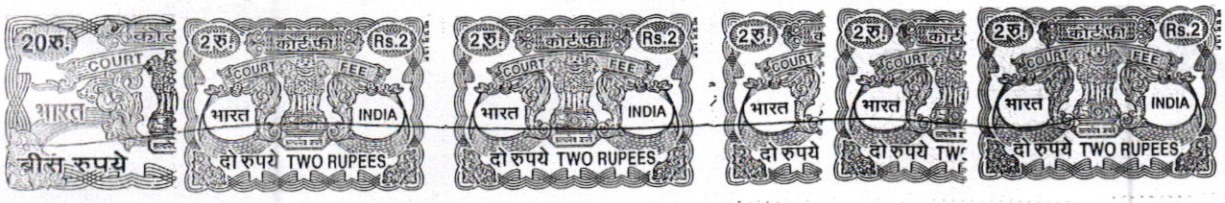

20रु. COURT भारत बीस रुपये | 2रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES | 2रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES | 2रु. COURT भारत दो रुपये | 2रु. COURT भारत दो रुपये TW | 2रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

Rs. 30/-

श्री कुमार गुप्ता पिता कमलचन्द्र गुप्ता, निवासी कटरा बाजार मैहर, तहसील मैहर, जिला सतना (म0प्र0)

---------निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मैहर, जिला सतना (म0प्र0)

-------गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

आवेदक श्री कुमार गुप्ता
द्वारा पेश/ 12.10.17

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार, तहसील मैहर, जिला सतना म0प्र0 के प्रकरण कमांक-1-अ-12/2016-17 आदेश दिनांक 16/05/2017 वावत् किये जाने सीमांकन आराजी नम्बर-72 एवं 73 स्थित मौजा तिलौरी, तहसील मैहर, जिला सतना (म0प्र0)

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्न है :-

1- यह कि आदेश मातहत न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से आलोच्य आदेश कायम रखे जाने योग्य है ।

2- यह कि अनावेदक द्वारा आ0नं0-72 व 73 स्थित ग्राम तिलौरा, तहसील मैहर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवेदक निगराकार जो उक्त भूमियों से संलग्न भूमि नं0-144, 145, 143/2, का भूमिस्वामी का आधिपत्यधारी है, पक्षकार नही बनाया गया और न ही राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन किये जाने क कोई

Gupta

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–निगरान/सतना/भू.रा./2017/3858

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6/4/18	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। यह निगरानी तहसीलदार मैहर जिला सतना के प्रकरण कमांक 1 अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 16–5–17 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक की ओर से ग्राम तिलोरा की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 72, 73 पर हाट बजार निर्माण करने के उद्वेश्य से सीमांकन कराने की मांग तहसीलदार मैहर से की गई। तहसीलदार मेहर ने राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कर प्रतिवेदन चाहा गया। राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर आपत्तिकर्तागण ने आपत्तियॉ प्रस्तुत की। फलस्वरूप तहसीलदार ने समक्ष में पुर्नसीमांकन कराने का निर्णय लिया तथा पुर्नसीमांकन कराकर आपत्तिकर्ताओं को सुनकर आदेश दिनांक 16–5–17 पारित किया तथा पुर्नसीमांकन दिनांक 16–5–17 एंव पूर्व सीमांकन दिनांक 23–10–17 एकरूप होने से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। तहसीलदार के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क यह है कि ग्राम तिलोरा की भूमि सर्वे कमांक 72 व 72 से उनके पक्षकार की भूमि नंबर 144, 145, 143/2 लगी हुई भूमियां है किन्तु सीमांकन के दौरान न तो उन्हें पक्षकार बनाया गया है एंव न ही सीमांकन के पूर्व राजस्व निरीक्षक ने	

कोई सूचना दी है। राजस्व निरभ्खक ने बिना बंदोवस्ती चिन्ह के सीमांकन करते हुये गलत व्यक्तियों के नाम पंचनामा पर लिखकर सीमांकन प्रतिवेदन दिया है इसलिये तहसीलदार का त्रृटिपूर्ण आधारों पर पारित सीमांकन आदेश निरस्त किया जाय।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि सीमांकित भूमि शासकीय है एंव शासकीय भूमि सर्वे कमांक 72 एंव 73 का एक वार राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन किया है तथा सीमांकन पर आपत्ति आने के कारण तहसीलदार ने स्वयं खड़े होकर दिनांक 16–5–17 को पुनः सीमांकन कराया है जिसमें राजस्व निरीक्षक व्दारा किया गया सीमांकन दिनांक 23–10–17 एंव पुर्नसीमांकन दिनांक 16–5–17 एकरूप पाये गये है। जब वाद विचारित भूमि के दो दो वार सीमांकन हुये हैं एंव तहसीलदार गॉव में मौके पर पहुंचे हैं तब यह नहीं माना जा सकता कि तहसीलदार के गॉव में पहुंचने की सूचना आवेदक को अथवा उसके परिजन को न हुई हो। भूमि पूर्णरूपेण शासकीय है जिसका सीमांकन किया गया है एंव दो दो वार किये गये सीमांकन में किसी प्रकार की विसंगति नहीं है जिसके कारण निगरानी तहसीलदार मैहर जिला सतना व्दारा प्रकरण कमांक 1 अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 16–5–17 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार मैहर जिला सतना व्दारा प्रकरण कमांक 1 अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 16–5–17 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य